दिनांक–24.09.2019 को 04:30 बजे अपराहन् में हुई बोर्ड की 394वीं साधारण बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :–

1 सचिव, उद्योग विभाग –सह–अध्यक्ष बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना — अध्यक्ष

2 उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना — सदस्य

3. आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना — सदस्य

4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना — सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य :–

5. राज्य निदेशक,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
राज्य कार्यालय–बी0 भी कॉलेज, शेखपुरा, पटना

क्र0	प्रस्ताव	निर्णय
1.	नव–निर्मित खादी मॉल के लिए बिक्री/बिलिंग आदि कार्य के लिए कार्यबल रखने के संबंध में।	प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि नव–निर्मित खादी मॉल के लिए बिक्री कार्य हेतु विक्रीकार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी एवं सुरक्षा प्रहरी बाह्य संसाधन (Out Sourcing) के माध्यम से 24 कर्मियों को रखा जायेगा, जिसका वेतनादि भुगतान खादी बोर्ड द्वारा बियाडा के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई।
2.	बोर्ड पैनल के अधिवक्ताओं को शुल्क की राशि वृद्धि करने एवं डा0 आनन्द कुमार, अधिवक्ता को बोर्ड में Retainer के रूप में पैनल करने की स्वीकृति देना।	डॉ0 आनन्द कुमार, अधिवक्ता पैनल के रूप में कार्य कर रहे हैं। Retainer के रूप में रखने की अभी कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। इसलिए इन्हें प्रति केस में किये गये कोर्ट में पैरवी के लिए विधि विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।
3.	मॉ मुण्डेश्वरी साईकिल उद्योग प्रा0 लि0, औरंगाबाद द्वारा 8 तकुआ का न्यू मॉडल चरखा आपूर्ति से संबंधित एकरारनामा को रद्द करने की स्वीकृति देना।	बोर्ड के 393वीं बैठक में कंडिका–5 में दिये गये निर्णय के आलोक में खादी पुर्नरूद्धार योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि में से मॉ मुण्डेश्वरी साईकिल उद्योग प्रा0 लि0, औरंगाबाद को 200 नग न्यू मॉडल चरखा का भुगतान कर दिया

		गया है। माँ मुण्डेश्वरी साईकिल उद्योग प्रा0 लि0, औरंगाबाद द्वारा 8 तकुआ का न्यू मॉडल चरखा का आपूर्ति से संबंधित एकरारनामा में 50% पार्ट्स का निर्माण बिहार में किया जाना था, परन्तु उनके द्वारा सिर्फ 12.28% ही पार्ट्स का निर्माण कर शेष पार्ट्स बाहर से मंगाकर चरखा का आपूर्ति किया जा रहा था। गत बोर्ड की बैठक के आलोक में KVIC से Empanelled फर्म से चरखा क्रय करने हेतु निर्णय लिया गया था। इस आलोक में क्रय करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अतः आपूर्तिकर्त्ता के साथ हुई एकरारनामा को रद्द करने की स्वीकृति दी गई।
4.	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा नवनिर्मित खादी मॉल के उद्घाटन समारोह के अवसर पर खर्च होने वाली राशि देने की स्वीकृति देना।	प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा नवनिर्मित खादी मॉल के उद्घाटन समारोह में आकस्मिक मद से रू0–12,88,648/– (बारह लाख अट्ठासी छः सौ अड़तालिस रूपये) मात्र खर्च करने की स्वीकृति दी गई।
5.	गत बैठक में लिये गये को संपुष्ट करना।	गत बैठक में लिये गये को संपुष्ट की गई।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव उद्योग
– सह– अध्यक्ष
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

ज्ञापांक– प्र/458 **पटना, दिनांक–** 28/09/2019

प्रतिलिपि :– सचिव, उद्योग विभाग–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/ उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, बी0भी0 कॉलेज, शेखपुरा, पटना/G.T. India LLP Patna को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
28/9/19

Scanned by CamScanner

दिनांक :– ३४ ...

ज्ञापांक :– ५०/४५८

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक बिहार औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (बियाडा), उद्योग भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

Scanned by CamScanner